

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मैनुअल संख्या-6

6- ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण

आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र के पास उपलब्ध दस्तावेजों का विवरण:

1- जनगणना 2001 के अनुसार ग्राम मानचित्र:

2. (अ) टोपो सीट (1:50000) त्मेजतपबजमक

- 53 I/4
- 53 I/7
- 53 I/8
- 53 I/12
- 53 I/16
- 53 J/1
- 53 J/2
- 53 J/5
- 53 J/6
- 53 J/9
- 53 J/10
- 53 J/11
- 53 J/13
- 53 J/14
- 53 J/15
- 53 N/1
- 53 N/2
- 53 N/3
- 53 N/5
- 53 N/6
- 53 N/7
- 53 N/8
- 53 N/10
- 53 N/11

- 53 N/12
- 53 N/14
- 53 N/15
- 53 N/16
- 53 O/2
- 53 O/3
- 53 O/4
- 53 O/5
- 53 O/6
- 53 O/7
- 53 O/8
- 53 O/9
- 53 O/10
- 53 O/11
- 53 O/12
- 53 O/13
- 53 O/14
- 53 O/15
- 53 O/16
- 53 P/1
- 53 P/5
- 53 P/9
- 53 P/13
- 53 P/14
- 62 B/3
- 62 B/4
- 62 B/8
- 62 B/12
- 62 B/16
- 62 C/1
- 62 C/2

- 62 C/3
- 62 C/6
- 62 C/7
- 62 C/8
- 62 C/9
- 62 D/2

(ब) टोपो सीट (1:50000) Un-restricted

- 53 K/9
- 53 K/10
- 53 K/11
- 53 K/1
- 53 K/2
- 53 K/5
- 53 K/6
- 53 K/14
- 53 K/16
- 53 K/15
- 53 K/13
- 53 F/10
- 53 F/11
- 53 F/14
- 53 F/15
- 53 F/13
- 53 F/16
- 53 F/9
- 53 J/16
- 53 J/3
- 53 J/4
- 53 J/7
- 53 J/8
- 53 J/12
- 53 N/4
- 53 O/1
- 53 K/9
- 53 K/9
- 53 G/9
- 53 G/13
- 53G/14
- 53 E/16

(स) टोपो सीट (1:25000) Restricted

- 53 J/1/NW, NE,SW,SE
- 53 J/2/NW, NE,SW
- 53 J/5/SW, SE
- 53 J/6/NW, NE,SW,SE
- 53 J/7/NW, NE,SW,SE
- 53 J/9/NW, NE,SW,SE
- 53 J/10/NW, NE,SW,SE
- 53 J/11/SW
- 53 N/3/NW, NE,SW,SE
- 53 N/6/NW, NE,SW
- 53 O/2/NW, NE,SW,SE
- 53 O/3/NW, NE,SW,SE
- 53 O/6/NW, NE,SW,SE
- 53 O/7/NW, NE,SW,SE
- 53 O/10/NW, NE,SW,SE
- 53 O/11/NW, NE,SW,SE
- 53 O/14/NW,SW,SE
- 53 O/15/ NE,SW,SE
- 62 C/6/SE
- 62 C/8/NW
- 62 C/9/NW,NE

(द) टोपो सीट (1:25000) Un-restricted

- 53 F/9
- 53 F/13
- 53 K/15
- 53 K/5/SW
- 53 K/10/NW

Doon & surrounding country 1840

Doon & surrounding country 1814

3- रिमोर्ट सेसिंग, इमेजरी

- 53 J/14,15
- 53 J/6/SE
- 53 J/6/SW
- 53 J/11/NW
- 53 J/7/NE

- 53 J/10/SW
- 53 J/10/SE
- 53 J/10/NE
- 53 J/10/NW
- 53 K/1/NE
- 53 J/7/SE
- 53 J/7/NE
- 53 J/4
- 53 K/1/SE
- 53 K/1/NW
- 53 J/8/SE
- 53 J/8/SW
- 53 J/8

नोट: उपरोक्त सभी टोपोशीट एवं मानचित्र डॉ० के०एन० पाण्डे, कनिष्ठ कार्यकारी के नियन्त्रणाधीन हैं।

प्रकाशन एवं केस स्टडीज

1. **Disaster Management:** Issues & Challenges.
2. प्राकृतिक आपदायें : खोजना, निकालना और बचाना।
3. प्राकृतिक आपदायें : पूर्व तैयारी एवं न्यूनीकरण।
4. प्राकृतिक आपदायें : पूर्व तैयारी— क्या करें ? क्या न करें ?
5. प्राकृतिक आपदायें : ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन।
6. प्राकृतिक आपदायें : आपदा प्रबन्धन में सामुदायिक जागरूकता एवं क्षमता निर्माण।
7. **Natural Disaster:** Guedelines on Emergency Preparedness and Disaster Management for Hospitals.
8. **Natural Disaster:** Operating Procedures and Standards- Public Works Department (PWD)
9. **Natural Disaster:** Operating Procedures and Standards- Police
10. **Natural Disaster:** Operating Procedures and Standards- Power Corporation
11. **Natural Disaster:** Operating Procedures and Standards- Agriculture Department.
12. **Natural Disaster:** Operating Procedures and Standards- Irrigation Department.
13. **Natural Disaster:** Operating Procedures and Standards- Jal Sansthan
14. Managing Floods in Eastern Uttar Pradesh.
15. Guidelines And Operational Procedure for the Preparation of Disaster

- Management Action Plan (DDMAP).
16. Guidelines Mitigation Strategy.
 17. **Manual:** Warning and Evacuation.
 18. **Manual:** District Emergency Operation Group (DEOG).
 19. **Manual:** State Emergency Operation Group (EOG.).
 20. **Manual:** Disaster Management Information System (DMIS).
 21. आपदा प्रबन्धन: ऊखीमठ भूस्खलन
 22. आपदा प्रबन्धन: मालपा भूस्खलन
 23. आपदा प्रबन्धन: शासनादेशों का संकलन
 24. ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनायें: जनपद रुद्रप्रयाग
 25. ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनायें: जनपद उत्तरकाशी
 26. ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनायें: जनपद चमोली
 27. ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनायें: जनपद टिहरी गढ़वाल
 28. ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनायें: जनपद पिथौरागढ़ (मुनस्यारी)
 29. ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनायें: जनपद पिथौरागढ़ (धारचूला)
 30. ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनायें: जनपद बागेश्वर
 31. हस्त पुस्तिका: मरम्मत और मजबूतीकरण
 32. हस्त पुस्तिका: भूकम्प सुरक्षित घर
 33. भूकम्प अवरोधी निर्माण तकनीकी: कलैण्डर 2002
 34. भूकम्प अवरोधी निर्माण तकनीकी: कलैण्डर 2003
 35. अन्तराक्षेपण दलों हेतु सुझाव पुस्तिका: रस्सी का उपयोग
 36. अन्तराक्षेपण दलों हेतु सुझाव पुस्तिका: आपातकालीन चिकित्सा सेवा
 37. प्राकृतिक आपदायें: भूकम्प, कारण एवं निवारण
 38. प्राकृतिक आपदायें: भूस्खलन, कारण एवं निवारण
 39. आपदा प्रबन्धन: आपदा प्रबन्धकों की हस्तपुस्तिका
 40. Forest Fire Management
 41. उत्तराखण्ड: आपदा प्रबन्धन (कक्षा-9)
 42. उत्तराखण्ड: आपदा प्रबन्धन (कक्षा-10)
 43. कलैण्डर: 2007
 44. आपदा प्रबन्धन की हस्तपुस्तिका
 45. आपदा सुरक्षित उत्तराखण्ड
 46. आपदा प्रबन्धन: बचाव हेतु आवश्यक जानकारियाँ

47. सर्वेक्षण आख्या: थाती कटूड़ (बूढाकेदार) टिहरी गढ़वाल
48. सर्वेक्षण आख्या: खेत गाँव
49. सर्वेक्षण आख्या: तोक-हुड़की, कौली, (पिथौरागढ़)
50. सर्वेक्षण आख्या: ग्राम जिमिया, सैन, जिमियाघाट, कुलथम, तल्ला डुमर, उमली भंडारी गाँव (पिथौरागढ़)
51. सर्वेक्षण आख्या: आमपड़ाव ग्राम चौपड़ा , (नैनीताल)
52. सर्वेक्षण आख्या: कर्णप्रयाग (चमोली)
53. सर्वेक्षण आख्या: ऋषिकेश-बद्रीनाथ राज मार्ग, देवप्रयाग (टिहरी गढ़वाल)
54. सर्वेक्षण आख्या: मसूरी-कैम्पटीफाल मार्ग
55. सर्वेक्षण आख्या: टिहरी डेम
56. सर्वेक्षण आख्या: वरुणावत
57. सर्वेक्षण आख्या: रमोलसारी (टिहरी गढ़वाल)
58. सर्वेक्षण आख्या: श्री श्याम पेपर मिल, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर, (अग्निकाण्ड के सम्बन्ध में)
59. Primary Report on Earthquake Safety of the Ashram Padhati School in Tunni Block of District Dehradun
60. सर्वेक्षण आख्या: कैलाश नदी सितारगंज (ऊधम सिंह नगर)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मैनुअल संख्या-7

- 7- किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मैनुअल संख्या-8

- 8- ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी।

आपदा प्रबन्धन विभाग के अन्तर्गत आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र के शासी निकाय के अन्तर्गत अधिशासी निदेशक को केन्द्र के प्रशासनिक के रूप में स्थापित किये जाने की व्यवस्था है एवं संस्था के अधिशासी मण्डल एवं शासी निकाय द्वारा अधिशासी निदेशक को केन्द्र के सुचारु संचालन हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार है।

केन्द्र के अन्तर्गत शासी निकाय के अन्तर्गत अधिशासी मण्डल के निर्णयों एवं केन्द्र से सम्बन्धित महत्वपूर्ण एवं नितिगत निर्णयों हेतु शासी निकाय की व्यवस्था की गई है तथा शासी निकाय में कुछ अन्य विभागों के सदस्यों को नामित किये जाने प्रावधान है।

शासी निकाय में केन्द्र द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न सस्थानों में आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में कार्य कर रहे विशेषज्ञों को सदस्यों को सदस्य के रूप में समावेशित करने का प्रावधान है।

शासी निकाय में सेना भारत तिब्बत सेना पुलिस, सीमा सड़क संगठन व एस.एस.बी. से एक-एक व्यक्ति को सदस्य के रूप में नामित किये जाने का प्रावधान है।

शासी निकाय के सदस्यों की सूची

दिनांक 31 मई, 2006 को आयोजित आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र के शासी निकाय की प्रथम बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में शासी निकाय को निम्नवत् पुर्नगठित किये जाने पर अनुमोदन किया गया :-

क्र.स.	नाम	पदनाम
1.	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव, गृह	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, राजस्व	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, आपदा प्रबन्धन	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, सिंचाई	सदस्य
7.	निदेशक, प्रशासन अकादमी, नैनीताल	सदस्य
8.	राहत आयुक्त	सदस्य
9.	अधिशासी निदेशक, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र	सदस्य / सचिव

अधिशाली ढण्डल के सदस्यों की सूची

1.	प्रढुख सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2.	निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल	सदस्य
3	आयुक्त, आपदा प्रबन्धन	सदस्य
4.	अधिशाली निदेशक, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र	सदस्य / सचिव
5.	प्रबन्धक, वित्त, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र	सदस्य

शाली निकाय की बैठक

शाली निकाय की बैठक वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है

अधिशाली ढण्डल की प्रथढ बैठक

अधिशाली ढण्डल की बैठक वर्ष में दो आयोजित की जाती है

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मैनुअल संख्या-9

9- अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड सरकार के अन्तर्गत अधिकारियों क निर्देशिका निम्नवत् है:

1. श्री नृप सिंह नपल्वयाल
प्रमुख सचिव।
दूरभाष नम्बर- 2712094 (कार्या०)

क्र. स.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	वेतनमान
1.	श्री त्रिलोक चन्द्र तिवारी	निजी सचिव	6500-10000
2.	कु० यशोदा नेगी	अपर निजी सचिव	5500-9000
3.	श्री नीरज पाण्डे	स्टेनोग्राफर	4000-6000
4.	श्री प्रकाश बहुगुणा	कनिष्ठ सहायक	4000-6000
5.	श्री राजेश प्रसाद	कनिष्ठ लिपिक	3050-4590

2. श्री पी०एस० जंगपांगी
अपर सचिव।
दूरभाष नम्बर- 2712013, 2712058 (कार्या०)

क्र. स.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	वेतनमान
1.	श्री लक्ष्मण सिंह	अनुसचिव	10000-15200
2.	श्री अतुल कुमार सिंह	प्रभारी अनुभाग अधिकारी	5500-9000
3.	श्री हर्षमणी भट्ट	समीक्षा अधिकारी	5500-9000
4.	श्री मुनेन्द्र दत्त सेमवाल	समीक्षा अधिकारी	5500-9000
5.	श्री कैलाश सिंह रावत	अनुसेवक	2550-3200

स्वायत्तशासी आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र के अन्तर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका निम्नवत् है:-

- 1- डॉ० पीयूष रौतेला
अधिशारी निदेशक
आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र
दूरभाष नम्बर- 2710233 (कार्या०)
9412054085 (मोबाइल)
- 2- श्री गिरीश चन्द्र जोशी
वरिष्ठ कार्यकारी
आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र

- दूरभाष नम्बर— 2710233 (कार्या0)
- 3— **डॉ० के.एन. पाण्डे**
कनिष्ठ कार्यकारी
आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र
दूरभाष नम्बर— 2710233 (कार्या0)
- 5— **मे० राहुल जुगरान**
कनिष्ठ कार्यकारी
आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र
दूरभाष नम्बर— 2710233 (कार्या0)
- 6— **श्री भूपेन्द्र सिंह भैसोड़ा**
प्रबन्धक तकनीकी
आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र
दूरभाष नम्बर— 2710233 (कार्या0)
- 7— **श्री राजीव कुमार गुप्ता**
प्रबन्धक प्रशासन
आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र
दूरभाष नम्बर— 2710233 (कार्या0)
- 8— **श्री मोहन सिंह राठौर**
डेटा इन्ट्री ऑपरेटर
आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र
दूरभाष नम्बर— 2710233 (कार्या0)
- 9— **श्री गोविन्द सिंह रौतेला**
डेटा इन्ट्री ऑपरेटर
आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र
दूरभाष नम्बर— 2710233 (कार्या0)
- 10— **श्री हरीश सिंह मेहता**
तकनीकी सहायक
आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र
दूरभाष नम्बर— 2710233 (कार्या0)
- 11— **श्री घनश्याम टम्टा**
तकनीकी सहायक
आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र
दूरभाष नम्बर— 2710233 (कार्या0)
- 12— **श्री नवीन चन्द्र भट्ट**
तकनीकी सहायक
आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र
दूरभाष नम्बर— 2710233 (कार्या0)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मैनुअल संख्या-10

10- प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथाउपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है

स्वायत्तशासी आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र के अंतर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक का विवरण निम्नवत् है :-

अधिकारियों/ कर्मचारियों का नाम/ पद	मासिक पारिश्रमिक (मूल वेतन)
1. डॉ. पीयूष रौतेला, अधिशासी निदेशक	रु. 14000.00/-
2- श्री गिरीश चन्द्र जोशी, वरिष्ठ कार्यकारी	रु. 12000.00/-
3- डॉ. के.एन. पाण्डे, कनिष्ठ कार्यकारी	रु. 10000.00/-
4- मे. राहुल जुगरान, कनिष्ठ कार्यकारी	रु. 10000.00/-
5 श्री भूपेन्द्र सिंह भैसोड़ा, प्रबन्धक तकनीकी	रु. 8000.00/-
6- श्री राजीव कुमार गुप्ता, प्रबन्धक प्रशासन	रु. 5500.00/-
7- श्री मोहन सिंह राठौर, डेटा इन्ट्री ऑपरेटर	रु. 5000.00/-
8- श्री गोविन्द सिंह रौतेला, डेटा इन्ट्री ऑपरेटर	रु. 5000.00/-
9- श्री हरीश सिंह मेहता, तकनीकी सहायक	रु. 3050.00/-
10- श्री घनश्याम टम्टा, तकनीकी सहायक	रु. 3050.00/-
11- श्री नवीन चन्द्र भट्ट, तकनीकी सहायक	रु. 3050.00/-

उपरोक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ भी देय है। सम्बन्धित कर्मचारियों की उपस्थिति प्रमाणित होने के पश्चात ही चैक द्वारा वेतन निर्धारण एवं भुगतान की कार्यवाही की जाती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मैनुअल संख्या-11

11- सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संविदाओं पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

राज्य सरकार से आपदा प्रबन्धन विभाग के अन्तर्गत स्वायत्तशासी आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र को राज्य सरकार से प्रति वर्ष अनुदान के रूप में धनराशि प्राप्त होगी। जिसका उपयोग केन्द्र के वेतन एवं भत्ते, अनुश्रवण एवं रखरखाव एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम (उपकरणों का रखरखाव, कार्यालय व्यय, आकस्मिक व्यय में किया जाता है।)

केन्द्र द्वारा ग्रामीण समुदाय हेतु जागरूकता एवं क्षमता विकास कार्यक्रमों को भी विकसित किया गया है, जिसके द्वारा भूकम्प, भू-स्खलन, वनाग्नि जैसी आपदाओं के प्रबन्धन इत्यादि विषयों पर प्रकाश डाला जाता है। इन कार्यशालाओं को जोन V के ग्रामों से आरम्भ किया गया है। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी का प्रसार एवं ग्रामीणों में पूर्व तैयारी हेतु परम्परागत ज्ञान को एकत्र कर एक दक्ष्य नीति निर्धारण करना एवं सामुदायिक सहभागिता के महत्वों को पहचानना है।

आपदा प्रबन्धन समिति प्रशिक्षण

1. जनपद स्तर सदस्यों की संख्या	—	280
2. विकासखण्ड स्तर पर सदस्यों की संख्या	—	488
3. ग्रामस्तरीय सदस्यों की संख्या	—	2886

जनपद स्तरीय आपातकालीन परिचालन केन्द्र

1. 8 जनपदों के सदस्य	—	200
----------------------	---	-----

आपदा प्रबन्ध प्रशिक्षण

1. शिक्षकों की संख्या	—	1537
-----------------------	---	------

स्कूल आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना

1. शिक्षक एवं छात्र-छात्राओं की संख्या	—	371
--	---	-----

राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत आपदा प्रशिक्षण

1. छात्र-छात्राओं की संख्या	—	1500
-----------------------------	---	------

पंचायती राज संस्थाओं का आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण

1. सदस्यों की संख्या	—	1976
----------------------	---	------

नगर आपदा प्रबन्ध समितियों का प्रशिक्षण

1. सदस्यों की संख्या	—	176
----------------------	---	-----

भूकम्प अवरोधी तकनीकी में प्रशिक्षण

1. अभियन्ताओं की संख्या	—	507
-------------------------	---	-----

भूकम्परोधी तकनीक प्रशिक्षण

1. आर्कटेक्ट / ड्रफ्टमैन	—	32
--------------------------	---	----

भूकम्परोधी तकनीकी में राजमिस्त्री का प्रशिक्षण

1. राजमिस्त्रियों की कुल संख्या	—	400
---------------------------------	---	-----

खोज एवं बचाव प्रशिक्षण

1. ग्रामस्तरीय अन्तराक्षेपण दलों के सदस्यों की संख्या	—	117
2. जिला आपदा प्रबंध परियोजना अधिकारी	—	04
3. पुलिस, पी.एस.सी., फायर सर्विस, होम गार्ड राजस्व एवं अन्य		449

प्राथमिक चिकित्सा एवं उपचार में प्रशिक्षण

1. ग्रामस्तरीय स्वयं सेवकों की संख्या	—	102
---------------------------------------	---	-----

जनपद स्तरीय आपदा प्रबन्ध कार्ययोजना

1. 8 जनपदों में आपदा प्रबन्धन समितियों का गठन—		280
--	--	-----

ग्रामस्तरीय आपदा कार्ययोजना

1. गाँवों की संख्या	—	310
2. आपदा प्रबन्ध समितियों की संख्या	—	1263

हैम रेडियो प्रशिक्षण

1. प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	—	67
--------------------------------	---	----

- आपदा प्रबन्धन एवं पुर्नवास विभाग के अन्तर्गत आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्ध केन्द्र द्वारा आपदा प्रबन्धन में सूचना के महत्व को दृष्टिगत रखते हुये आपदा प्रबन्धन सूचना प्रणाली स्थापित करने की एक योजना तैयार की गयी है जिसके अंतर्गत सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में वीसैट प्रणाली से सूचनाओं का आदान –प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना का एक मुख्य अंश सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से एक ऐसा बहुउद्देशीय डेटा बैंक तैयार करना है जो कि उत्तराखण्ड शासन एवं जनपद प्रशासन के विकास कार्यों को प्रभावी बनाने में मदद करेगा।
- राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को वी सैट प्रणाली के अन्तर्गत गृह मंत्रालय, मौसम भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा देश के 22 राज्यों से जोड़ दिया गया है।
- उत्तराखण्ड के 13 जनपदों में रोड नेटवर्क एवं भौगोलिक स्थिति, भौगोलिकी सूचना प्रणाली के माध्यम से बहुउद्देशीय डेटा बैंक तैयार किया गया है। जिसका उपयोग आपदाओं के समय किया जा सकता है।

- उत्तराखण्ड के 13 जनपदों की जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना तैयार कर ली गयी है।
- वर्तमान में उत्तराखण्ड के जोन V के कुल 333 ग्राम स्तरीय कार्ययोजना एवं 10 सदस्यीय ग्राम अन्तराक्षेपण दलों का गठन किया जा चुका है। उत्तराखण्ड के 13 जनपदों को वीडियो सम्मेलन **Video Conferencing** के द्वारा जोड़ा गया है। कोई भी आपदा घटित होने एवं अन्य कार्य हेतु जनपदों से किसी भी समय सम्पर्क किया जाता है। केन्द्र आपदा प्रबन्धन के जोखिम आंकलन, मानचित्रीकरण, घातकता आंकलन तथा आपदा न्यूनीकरण इत्यादि कार्यों को आगे बढ़ाने में कार्यरत है।
- गृह मंत्रालय-भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार राज्य में विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के अभियंताओं तथा सी.बी.आर.आई., रूड़की एवं आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन के विशेषज्ञों का चयन कर **Hazard Safety Cell** का गठन किया गया है। अब तक इस सैल की 04 बैठक आयोजित की जा चुकी है।
- राज्य के प्रत्येक जनपदों में जनपद स्तर पर हेजार्ड सेफ्टी यूनिट (**Hazard Safety Unit**) का गठन किया जा रहा है।
- भवन मजबूतीकरण हेतु विभिन्न विभागों में भवनों की दशा के सम्बन्ध में सूचना माँगी गयी है ताकि कमजोर पाये जाने वाले भवनों का मजबूतीकरण का कार्य अगली पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित किया जा सके।
- आई.आई.टी, रूड़की के सहयोग से एन.एच.पी.सी. के द्वारा वित्त पोषित 05 स्कूलों के मजबूतीकरण हेतु अध्ययन भी प्रस्तावित है।
- गृह मंत्रालय-भारत सरकार की ओर से राज्य में अभियंताओं के अलग-अलग स्तर पर प्रशिक्षण हेतु **National Programme of Capacity Building for Engineers in Earthquake Risk Management (NPCBEERM)** चलाया जा रहा है। इस वृहद प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम चरण में राज्य 4 रिसोर्स ग्रुप (**Resource Group**) बनाये जा चुके हैं। जिसमें 08 अभियंताओं एवं 08 इंजीनियरिंग कालेजों के अध्यापकों को 40 दिवसीय दीर्घकालीन प्रशिक्षण दिया जा चुका है। द्वितीय चरण में राज्य में 360 अभियंताओं को भूकम्प अवरोधी निर्माण सम्बन्धी जानकारी दी जानी है।
- केन्द्र द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में 2003 से 2006 तक कुल 570 सदस्यों को खोज एवं बचाव का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जिनमें पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली एवं उत्तरकाशी में गठित ग्राम स्तरीय अन्तराक्षेपण दलों के जिला प्रशासन द्वारा नामित 117 एवं 04 जिला आपदा परियोजना अधिकारियों को 20 दिवसीय खोज एवं बचाव विषयक

प्रशिक्षण साहसिक पर्यटन केन्द्र अल्मोड़ा, हिमालयन टैर्कस समिति मोरी उत्तरकाशी, मसूरी स्थित हिमालयन साहसिक संस्थान के माध्यम से वृहद रूप में दिया जा चुका है। इसके साथ ही जनपद एवं तहसील स्तर पर 113 पटवारी, 142 कॉस्टेबल, 26 होमगार्ड, 07 पी0आर0डी0 जवान, 26 पुलिस अग्निशमन, 02 सचिव पंचायत, 12 तहसील लिपिक, 03 फार्मसिस्ट, 19 ग्राम पंचायत अधिकारी, 30 तहसील अनुसेवक, 01 एस0ई0, 01 सहायक विकास अधिकारी, 05, कनिष्ठ व वरिष्ठ अभियंता सहायक/ फारिस्टर 03 नायब तहसीलदार, 07 ग्राम प्रहरी, 07 स्वास्थ्य विभाग और पी0एस0सी0 बटालियन रुद्रपुर एवं हरिद्वार के 45 सदस्यों को खोज एवं बचाव का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके साथ ही हिमालयन साहसिक संस्थान कैम्पटी, मसूरी एवं नैनीताल माउण्टेनियरिंग क्लब, नैनीताल में तहसील स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपदा प्रबन्धन एवं पुर्नवास विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रत्येक माह में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी निर्धारित कर दिया गया है।

- केन्द्र द्वारा 8 जनपदों के आपातकालीन परिचालन केन्द्रों के 280 सदस्यों, 1537 शिक्षकों, राष्ट्रीय सेवा योजना के 1500 छात्र-छात्राओं, पंचायती राज संस्थाओं के 1976 सदस्यों तथा नगर आपदा प्रबंधन समितियों के 176 सदस्यों को आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
- उत्तराखण्ड आपदा न्यूनीकरण, प्रबन्धन तथा निवारण अधिनियम, 2005 पारित हो गया है।
- केन्द्र द्वारा वर्तमान तक 8 विभिन्न विभागों हेतु SOP (Standard Operating Procedures) भी तैयार किये जा चुके हैं जिसके माध्यम से इन विशिष्ट विभाग जो आपदा के दौरान अहम भूमिका निभाते हैं, को पूर्व तैयारी में योगदान प्रदान करेंगे।
- केन्द्र द्वारा यू.एन.डी.पी. की परियोजना के अंतर्गत जनपद बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, हल्द्वानी, टिहरी गढ़वाल, देहरादून के 400 राज मिस्त्रियों, 507 अभियन्ताओं एवं 32 आर्कटेक्ट/ड्राफ्टमैनों को भूकम्प अवरोधी तकनीकी का समायोजन स्तरीय निर्माण में किये जाने का प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा इन प्रशिक्षित Master Trainers को आगे प्रशिक्षण देने हेतु कार्य किया जा रहा है। 25 चिकित्सकों को आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
- गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं संयुक्त विकास कार्यक्रम द्वारा उत्तराखण्ड में क्रियान्वित, आपदा जोखिम प्रबंधन परियोजना के अन्तर्गत राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र तैयार कर लिया गया है। इस क्रम में नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, देहरादून ,उत्तरकाशी जनपदों के जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र के

भवन तैयार कर लिये गये हैं। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सूचना के आदान प्रदान के लिये 13 जनपदों को फोन नम्बर 1077 व राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को फोन न0 1070 से जोड़ा गया है।

- सूचना प्रणाली के तहत राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र से गढ़वाल एवं कुमांऊ मण्डल को पुलिस वायरलैस सैट के माध्यम से जोड़ दिया गया है।
- उत्तराखण्ड के 10 जनपदों अल्मोड़ा, नैनीताल, चम्पावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी तथा टिहरी गढ़वाल को सेटेलार्इट फोन एवं दो सेटेलार्इट फोन द्वारा राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र से जोड़ गया है।
- उत्तराखण्ड के 13 जनपदों को विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र से जोड़ दिया गया है।
- आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील राज्य के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार हेतु रेड क्रॉस से संबद्ध संस्था सेंट जांस ऐबुलेंस के पदाधिकारियों के द्वारा एन.एस.एस. के 70 छात्र-छात्राओं, फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर हॉस्टेस के 30 छात्र-छात्राओं एवं एयर हॉस्टेस अकादमी के 50 छात्र-छात्राओं को 07 दिवसीय प्राथमिक उपचार हेतु प्रशिक्षण दिया गया।
- अन्तर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण एवं निवारण दिवस के अवसर पर जनचेतना हेतु गॉंधी पार्क, देहरादून में चित्रकला प्रतियोगिता एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। जिसमें 256 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया।

वैकल्पिक व्यवस्था

आपदा प्रबन्धन विभाग के अर्न्तगत राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र का संचालन आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र द्वारा संचालित किया जाता है। जिसके तहत राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को 24 घण्टे चलाया जाता है।

मानसून अवधि में जनपदों के जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्रों को भी राज्य की तरह 24 घण्टे चलाया जाता है जो राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को आपदा घटित होने पर त्वरित कार्यवाही हेतु सूचना प्रेषित करते हैं। जनपदों के आपातकालीन परिचालन केन्द्र से सूचना प्राप्त होते ही राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र ए.टी.आर. (Action Taken Report) मा0 मुख्यमंत्री, मा0 आपदा मंत्री और शासन में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, आपदा प्रबन्धन, अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं अन्य विभागों के प्रमुख सचिव/अपर सचिव

तथा कन्ट्रोल रूम गृह मंत्रालय भारत सरकार को त्वरित कार्यवाही हेतु दैनिक सूचना प्रेषित की जाती है।

प्राथमिक उपचार सहायता:

उत्तरांचल की विषम भौगोलिक संरचना होने के कारण कोई भी आपदा घटित होने पर समय से चिकित्सक नहीं पहुँच सकते हैं। आपदा से प्रभावित समुदाय को प्राथमिक उपचार चिकित्सा सहायता देने के लिये प्रत्येक व्यक्ति को प्राथमिक उपचार सहायता का प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यकीय है। जिसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार हेतु 14-20 अक्टूबर 2006 से रेड क्रॉस से संबद्ध संस्था सेंट जांस ऐबुलेंस के पदाधिकारियों के द्वारा एन.एस.एस. के 70 छात्र-छात्राओं, फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर हॉस्टेस के 30 छात्र-छात्राओं एवं एयर हॉस्टेस अकादमी के 50 छात्र-छात्राओं को 07 दिवसीय प्राथमिक उपचार हेतु प्रशिक्षण दिया गया।

Disaster Mitigation & Management Centre
Receipt & Payment
For the financial year 2001-2002

Receipts	Amount	Payment	Amount
Amount sanctioned Rs, 69,98,000.00		Office Furniture	1,50,000.00
□ Amount withdrawn by the Academy of Administration, Nainital from treasury	48,98,000.00	GIS/RS Lab	26,02,000.00
		Computer Lab	13,68,702.00
□ Amount received by DMMC from Academy of Administration, Nainital	11,00,000.00	A/V Equipment	5,00,000.00
		Travel exp.	78,533.00
□ Amount withdrawn by the Academy of Administration, Nainital from treasury	7,48,187.00	Office Expenditure	14,92,473.00
		Human Resource	3,75,585.00
□ Intt. Earned from bank (KNSB, Nainital)	1,88,967.00	Cash in hand and bank	3,69,361.00
		Cash in hand Rs.	
□ Mis. Receipt	1,500.00	7,237.00	
		Cash in Bank Rs.	
□ Amount surrendered by the Academy of Administration, Nainital to the GOUA		1,73,157.00	
Rs. 2,51,813.00		Intt. From Bank Rs.	
		1,88,967.00	
	69,36,654.00		69,36,654.00

Disaster Mitigation & Management Centre
Receipt & Payment
For the financial year 2002-2003

Receipts	Amount	Payment	Amount
□ Opening balance	1,80,394.00	Human Resource	14,21,556.00
□ Amount received as Installment from Academy of Administation, Nainital	33,81,488.00	Operation & Maintenance	9,60,000.00
		Office Expenditure	3,70,000.00
		Equipment	2,59,000.00
□ Mis. Receipt	5,200.00	DDMAP	2,50,000.00
		Misc./Sundry Exp.	25,200.00
		Cash at Bank	2,81,326.00
	35,67,082.00		35,67,082.00

Disaster Mitigation & Management Centre
Receipt & Payment
For the financial year 2003-2004

Receipts	Amount	Payment	Amount
□ Opening balance	2,81,326.00	Human Resource	15,32,702.00
□ Amount Received from GOUA	20,00,000.00	Operation & Maintenance	3,50,000.00
		Office Expenditure	2,00,050.00
		Equipment	1,50,000.00
		Amount surrendered under human resource head	47,092.00
		Bank charges	1,482.00
	22,81,326.00		22,81,326.00

DISASTER MITIGATION & MANAGEMENT CENTRE

Receipt & Payment for the year 2004-05 (For the ending period 31 March, 2005)

RECEIPT	AMOUNT	PAYMENT	AMOUNT
Budget received from GoUA (Rs. 13,33,000 + Rs. 26,67,000)	40,00,000.00	1) Human Resource 2) Operation & Maintenance 3) Office Expenditure 4) Equipment 5) Sundry Expenses 6) Amt. surrender under in Human Resource Head	19,03,303.00 4,01,900.00 2,60,000.00 4,54,000.00 20,000.00 9,60,797.00
Interest earned during financial year 2004-2005 <u>A/c No. SB 24912 UBI, D.DN</u>	36,821.00	Interest surrender under to GoUA	36,821.00
Budget received from MHA, Gov. of India (DMC)	8,00,000.00	1) Salary Head 2) Office Exp/Workshop 3) Equipment Head 4) Cash at Bank (31.3.05)	1,27,033.00 2,50,000.00 1,50,000.00 2,72,967.00
Budget received from GoUA (Search & Rescue Training) (Rs. 2,26,000 + 2,26,000+6,78,000)	11,30,000.00	1) Payment of HAI, Mussoorie 2) TA/DA Participants 3) Budget Surrender to GoUA	11,00,000.00 6,000.00 24,000.00
Miscellaneous Receipt	11,205.00	1) Payment of Telephone bill 2) Corpus Fund (FD)	8,000.00 3,205.00
Health Project	4,93,718.00	1) Salary 2) Corpus Fund (FD) 3) Temporary Loan 4) Cash at Bank	27,096.00 2,28,331.00 12,291.00 2,26,000.00
PWD Road Map Project	7,78,000.00	1) Corpus Fund (FD) 2) Equipment 3) Travel Exp. 4) Office Exp. 5) Mis. Exp. 6) Cash at Bank	3,91,708.00 2,55,385.00 1,860.00 4,660.00 7,967.00 1,16,420.00
Output Road Master Plan Project (Map Output)	10,000.00	1) Corpus Fund (FD) 2) Cash at Bank	7,000.00 3,000.00
TOTAL	72,59,744.00	TOTAL	72,59,744.00

केन्द्र द्वारा आपदा जोखिम परियोजना (यू.एन.डी.पी.) के सहयोग से सामुदायिक जागरूकता अभियान की एक वृहद योजना उत्तराखण्ड के 8 जनपदों (नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी गढ़वाल देहरादून, उत्तरकाशी) में कार्यान्वित है। उक्त जनपदों के प्रत्येक गांव हेतु आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना के निर्माण के साथ-साथ प्रत्येक गांव में ग्राम स्तरीय अन्तराक्षेपण दलों का गठन भी किया जा रहा है। इन जनपदों में विकास खण्ड, जनपद एवं तहसील स्तर पर भी आपदा प्रबन्धन कार्य समितियों का गठन किया जा रहा है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा उत्तराखण्ड में क्रियान्वित आपदा जोखिम प्रबन्धन परियोजना (यू.एन.डी.पी.) के तहत 08 जनपदों में यू0एन0डी0पी0 द्वारा जिला परियोजना अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है जिसका विवरण निम्नवत है:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	जनपद
1.	डॉ0 पी0डी0 माथुर	परियोजना अधिकारी	बागेश्वर
2.	श्री सुमीत जोशी	परियोजना अधिकारी	पिथौरागढ़
3.	डॉ0 अनिल शर्मा	परियोजना अधिकारी	नैनीताल
4.	श्री कैलाश चन्द्र पाण्डे	परियोजना अधिकारी	चमोली
5.	श्री आर0एस0 राणा	परियोजना अधिकारी	रुद्रप्रयाग
6.	श्रीमती मीरा कैन्थुरा	परियोजना अधिकारी	टिहरी गढ़वाल
7.	श्री मनोज पाण्डे	परियोजना अधिकारी	उत्तरकाशी
8.	श्रीमती पुष्पलता रावत	परियोजना अधिकारी	देहरादून

;w0,u0Mh0ih0 ifj;kstuk dk ctV fooj.k

GoI-UNDP Disaster Risk Management Programme Statement of Income & Expenditure for the funds released under sub-contract to the State Nodal

Implementing Agency	Disaster Mitigation and Management Centre (DMMC) Agency																								
Address	Disaster Mitigation and Management Centre (DMMC) Government of Uttaranchal Uttaranchal Secretariat Campus, Rajpur Road Dehradun 248001																								
Tel/Fax	0135 - 2710232, 2710233 / 0135 – 2710199																								
Report for the period ending	31st December, 2005																								
Details of the Funds received from UNDP	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Date</th> <th style="width: 60%;">Description</th> <th style="width: 20%;">Amount (INR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23/06/2003</td> <td>1st Installment</td> <td style="text-align: right;">52,49,640.00</td> </tr> <tr> <td>10/11/2003</td> <td>2nd Installment</td> <td style="text-align: right;">58,62,060.00</td> </tr> <tr> <td>22/06/2004</td> <td>Masons' Trg</td> <td style="text-align: right;">74,343.00</td> </tr> <tr> <td>18/11/2004</td> <td>3rd Installment</td> <td style="text-align: right;">67,19,200.00</td> </tr> <tr> <td>27/12/2004</td> <td>Satellite Phone</td> <td style="text-align: right;">4,00,000.00</td> </tr> <tr> <td>10/10/2005</td> <td>4th Installment</td> <td style="text-align: right;">80,72,761.20</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Total</td> <td style="text-align: right;">2,63,78,004.20</td> </tr> </tbody> </table>	Date	Description	Amount (INR)	23/06/2003	1st Installment	52,49,640.00	10/11/2003	2nd Installment	58,62,060.00	22/06/2004	Masons' Trg	74,343.00	18/11/2004	3rd Installment	67,19,200.00	27/12/2004	Satellite Phone	4,00,000.00	10/10/2005	4th Installment	80,72,761.20	Total		2,63,78,004.20
Date	Description	Amount (INR)																							
23/06/2003	1st Installment	52,49,640.00																							
10/11/2003	2nd Installment	58,62,060.00																							
22/06/2004	Masons' Trg	74,343.00																							
18/11/2004	3rd Installment	67,19,200.00																							
27/12/2004	Satellite Phone	4,00,000.00																							
10/10/2005	4th Installment	80,72,761.20																							
Total		2,63,78,004.20																							

Activity Description as per the approved work plan	Approved allocation for the programme as per the MoU with UNDP	Released allocation for the programme as per the MoU with UNDP	Cumulative Expenditure	Narrative description of the fund spent
State Level				
Institutional Arrangements				
Duty Travel/Mission Cost-Contingency for SNA	3,88,790	1,94,395	2,46,363	Rs 51,968 excess utilized, however within the overall allocation limit.
Strengthening State Nodal Agency/Authority (SNA) in DM	4,57,400	1,14,350	Nil	
Strengthening Inter & Intra Departments Administrative Apparatus in DM				
Development of State Disaster Management Action Plan (SDMAP) & State Disaster Management Act. (SDMA)	1,82,960	91,480	Nil	
Preparation of State Vulnerability Report	3,13,940	1,56,970	Nil	
Preparation / Documentation of Best Practices in the states and outside the state	1,60,090	80,045	6,933	
Retrofitting and Hazard Resistant Model Demonstration Units	29,27,360	14,63,680	14,57,800	Transferred to construction of state and district EOC head as per concurrence recorded in the meeting on 21.2.2005 by UNDP & MHA
In-country exposure visits	45,740	22,870	Nil	

National Professional (advisory services to SNA) for 6 working months	2,05,830	1,02,915	1,980	
Training & Capacity Building				
State level training for specific skill development of the Nodal Officers, SDMT and the DMTs as per the GoUA Emergency Operation Group	2,88,162	1,14,350	45,526	
Mesons Training	Nil	94,873	94,873	Rs 74,343 received from UNDP. Rs 20,530 transferred from IEC Material head as per approval of Chairman SSC
School Disaster Management Action Plan	Nil	23,470	3,750	Transfer from IEC Material head as per approval of Chairman SSC
Awareness & Sensitization				
Training of state level Disaster Management Team in DM related functional areas (for emergency support function like first aid, search & rescue etc.) and linking with other institutional capacity building initiatives like in search & rescue	2,28,700	1,14,350	1,01,373	
Printing/Development of IEC materials for the State/District and below levels	16,26,453	6,44,760	3,22,222	Rs. 44,000/- transferred to Mesons training & School disaster management plan heads as per approval of Chairman SSC
Stakeholders consultations on Disaster Management Strategy	1,14,350	57,175	6,917	
Construction of EOC & DEOC (Indian Rs)	67,19,200	67,19,200	67,19,200	Amount released to PWD, D.Dun and District Utilization is awaited. Additional Amount is borne from inter component transfer as per concurrence recorded in the meeting on 21st Feb. 2005 by UNDP and MHA.
Procurement of Staellite Phones	4,00,000	4,00,000	NIL	
Sub Total (A)	1,40,58,975.00	1,03,94,883.00	90,06,937.00	
Urban Earthquake Vulnerability Reduction Programme (UEVRP)	9,06,000	4,53,000	3,55,552.35	As information submitted by MDDA (Nodal Agency)
Sub Total (B)	9,06,000.00	4,53,000	3,55,552.35	

District Level				
Institutional Arrangement				
Contingency, Communication DDMC	3,65,920	1,80,960	1,40,990	As figures submitted by District Administration
Strengthening Inter & Intra Department Administrative Apparatus in DM				
Cities (ULBs) Under the programme district for earthquake preparedness through awareness generation responses plan and development of techno legal regime 2 in each district.	29,27,360	14,63,680	2,49,660	As figures submitted by District Administration
Review and updating of preparedness and mitigation plan at district, tehsil & GP levels				
Preparation of the District Disaster Management Action plan DDMAP	10,97,760	3,65,920	1,15,429	As figures submitted by District Administration
Preparation of the Block/ULB/Tehsil/Village level disaster preparedness and mitigation plan	73,18,400	27,44,400	7,62,763	As figures submitted by District Administration
Training & Capacity Building				
Training and Capacity Building of various Disaster Management Teams/Disaster Management Committee on community based Disaster Preparedness (CBDP)	67,69,520	21,95,520	3,85,698	As figures submitted by District Administration
Training of Trainers and facilitators in development of preparedness and Mitigation Plan. Training of Type, 2,3 Search & Rescue Team. Training of Masson, Architect, local Builders on Disaster resistant housing technology.	18,29,600	3,65,920	5,18,539	As figures submitted by District Administration
Awareness and Sensitization				
Awareness and campaign in the District /Block/ Tehsil/ Village	3,65,920	1,82,960	5,74,534	As figures submitted by District Administration
Sub Total (c)	2,06,74,480	74,99,360	27,47,613.00	
Grand Total (a+b+c)	3,56,39,455	1,83,47,243.00	1,21,10,102.35	

This is to certify that the above statement of income and expenditure is correct and that the expenditure was incurred in connection with the approved projects for which the funds have been received.

lwpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005 eSuqvy la[;k&12

12—सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं:

आपदा प्रबन्धन विभाग के अन्तर्गत इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है।

lwpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005 eSuqvy la[;k&13

13– अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियों

आपदा प्रबन्धन विभाग के अंतर्गत रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों से सम्बन्धित कार्य व्यवहृत नहीं होता है।

lwpu k dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005 eSuqvy la[;k&14

14– किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो

आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि अभिलेखों का विवरण वेबसाइट <http://www.uttra.in> पर जाने पर विभागीय सूची में आपदा प्रबन्धन विभाग के सम्मुख क्लिक करने पर विभाग की सम्पूर्ण सूचनायें प्राप्त की जा सकती है। स्वायत्तशासी आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र की वेबसाइट <http://gov.ua.nic.in/dmmc> में सम्पूर्ण जानकारियां उपलब्ध है।

- राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को वी सैट प्रणाली के अन्तर्गत गृह मंत्रालय, मौसम भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा देश के 22 राज्यों से जोड़ दिया गया है।
- उत्तराखण्ड के 13 जनपदों को वीडियो सम्मेलन **Video Conferencing** के द्वारा जोड़ा गया है। कोई भी आपदा घटित होने एवं अन्य कार्य हेतु जनपदों से किसी भी समय सम्पर्क किया जाता है।
- गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सूचना के आदान प्रदान के लिये 13 जनपदों को फोन नम्बर 1077 व राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को फोन न0 1070 से जोड़ा गया है।

lwpu k dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005 eSuqvy la[k&15

- 15— सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है।

आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही एवं वित्तीय स्वीकृतिया, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि अभिलेखों का विवरण वेबसाइट <http://www.uttra.in> पर जाने पर विभागीय सूची में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र एवं आपदा प्रबन्धन विभाग के सम्मुख क्लिक करने पर विभाग की सम्पूर्ण सूचनायें प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त एन.आई.सी. के वेबसाइट <http://gov.ua.nic.in/dmmc> पर अधिसूचना में भी महत्वपूर्ण शासनादेशों का विवरण उपलब्ध कराया गया है।

प्रलेखन एवं सुझाव एवं मार्ग दर्शन से संबन्धित सूचनायें आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र के प्रलेखन कक्ष से प्राप्त की जा सकती तथा सभा कक्ष में शासनस्तर और आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र की बैठक समय—समय आरक्षण के माध्यम से कार्यालय समयावधी (प्रातः 9.30— सांय 6.00 बजे तक) होती है।

lwpuK dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005 eSuqvy la[;k&16

16— लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टतां

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन हेतु आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, आपदा प्रबन्धन विभाग, देहरादून के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के प्राविधान के अन्तर्गत नामित लोक सूचना अधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है :-

1& vkink U;wuhdj.k ,oa izcU/ku dsUnz] lfpoky; ifjij] nsgjknwu

लोक सूचना अधिकारी

डा. पीयूष रौतेला
अधिशासी निदेशक,
आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र,
सचिवालय परिसर, देहरादून।
दूरभाष नम्बर— 2710233 / 2710232 / 2710199

विभागीय अपीलीय अधिकारी
प्रमुख सचिव, आपदा प्रबन्धन।

2& lfpoky; Lrj@'kklu Lrj

लोक सूचना अधिकारी

श्री लक्ष्मण सिंह,
अनु सचिव,
आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास,
उत्तराखण्ड शासन।
दूरभाष नम्बर— 2712058

विभागीय अपीलीय अधिकारी
अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन।

17- ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय

उत्तराखण्ड राज्य अपनी भौगोलिक एवं पारिस्थितिकीय संरचना के कारण प्राकृतिक एवं मानवीय परिवर्तनों के प्रति अति संवेदनशील है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए, उत्तराखण्ड राज्य के गठन के साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा आपदा प्रबन्धन मंत्रालय की स्थापना की गयी। यह मंत्रालय आपदाओं के प्रभाव को न्यून करने के लिए प्रदेश सरकार की कटिबद्धता को प्रदर्शित करता है। राज्य में आपदा प्रबन्धन को सुव्यवस्थिति एवं व्यवहारिक बनाने के लिए आपदा तंत्र इस प्रकार विकसित किया गया कि आपदा प्रबन्धन में राज्य एवं जिला स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त स्वयं सेवी संस्थाओं, गैर सरकारी सगठनों, जन प्रतिनिधियों एवं जन सामान्य की स्पष्ट भागीदारी हो सके। राज्य स्तर पर अन्य राज्यों के राहत आयुक्त के विपरीत उत्तराखण्ड में आयुक्त, आपदा प्रबन्ध एवं जिला स्तर पर जिलाधिकारी को जिला आपदा प्रबन्धक के रूप में नियुक्ति तथा जिला आपदा निधि की स्थापना से प्रदेश में आपदा प्रबन्ध तंत्र कारगर एवं व्यवहारिक सिद्ध हुआ।

इस क्रम में शासन द्वारा आपदा प्रबन्धन मंत्रालय के अधीन आपदा प्रबन्धन एवं पुर्नवास के तहत स्वायत्तशासी आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र की स्थापना सचिवालय परिसर, देहरादून में की गयी है।

केन्द्र का ध्येय जागरूकता, सूचना, प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता एवं क्षमता विकास के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य में आपदाओं से जीवन सुरक्षा एवं पर्यावरण सुरक्षा के ऐसे तंत्र की स्थापना करना है, जो कि उत्तराखण्ड राज्य की आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए आपदा से पूर्व, आपदा के समय एवं आपदा के पश्चात की गतिविधियों का संसाधनों के अधिकतम उपयोग के साथ सूचारू एवं समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सकें।

izf'k{k.k ,oa {kerk fodkl%

स्वायत्तशासी आपदा प्रबन्धन केन्द्र नीति/निर्णय निर्धारक, सम्बन्धित विभागों, गैरसरकारी संस्थाएँ/सी.बी.ओ./स्कूल एवं समुदाय को अपने लक्ष्य वर्ग के रूप में रेखांकित करता है। केन्द्र द्वारा केन्द्र में एवं सुदूर क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यशालाएँ एवं जागरूकता कार्यक्रमों को नियमित रूप से आयोजित किया जाता है। जिसके तहत नैनीताल, ऊधमसिंह नगर टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, पिथौरागढ़ एवं चम्पावत जनपदों के अधिकारियों गैरसरकारी संस्थाओं हेतु जनपद स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर आई.पी.एस. वर्टिकल इन्टरऐक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में आयोजित किया जाता है।

अभी तक केन्द्र द्वारा 12 प्रशिक्षण मॉडल विकसित किये गये हैं, जो तीन विशिष्ट लक्ष्य वर्ग को दृष्टिगत रखते हुये विकसित किये गये हैं।

1. नीति/निर्णय निधारक
2. सम्बन्धित विभाग।
3. गैर सरकारी संस्थाएँ स्कूल एवं समुदाय।